<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-   /2024

CNR No. UPBB180000432024

अय्यूब   बनाम   फुरकान अहमद आदि

<u>21.02.2024</u>

1. प्रार्थना-पत्र ग-6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग-7 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादी ने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि वादी अपने पुश्तैनी मकान में अपने परिवार सहित पूर्वजों के समय से रिहायश कायम किये हुए है तथा पूर्वजों द्वारा प्राप्त समस्त मालिकाना हक के साथ मालिक व काबिज चला आ रहा है। विवादित स्थल को नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शाया गया है। विवादित स्थल से प्रतिवादीजन का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। दिनांक 11.02.2024 को वादी अपने घर के सहन पर निर्माण करवा रहा था तभी समस्त प्रतिवादीजन एक राय होकर मौके पर आये। वादी के विरोध करने पर गाली गुप्ता देने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी।

3. वादी ने अपने कथन के समर्थन में नकल घरौनी, प्रार्थना पत्र तहसील रामसनेहीघाट दिनांकित 17.02.2024 व प्रार्थना पत्र थाना दरियाबाद दिनांकित 11.02.2024 की छायाप्रतियां दाखिल की है। वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में इस स्तर पर बिना प्रतिवादीजन को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

4. अतः प्रतिवादीजन को नोटिस जारी हो। वादी वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 21.03.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू० डि०),रामसनेहीघाट,
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

<u>21.02.2024</u>

प्रार्थना-पत्र ग-9 वास्ते जारी करने कमीशन जरिए अमीन पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करें।

(सोनम शर्मा)
सिविल जज (जू० डि०),रामसनेहीघाट,
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।